न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 11/2022 जीसीएमएस न0– 2022/85
अनवान : –

1. सुमन पुत्री स्व0 श्रीमति खिवणी पत्नी स्व0 हरचन्द पत्नी रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी नणाऊ हाल चक सरदारपुरा तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. विमला पत्नी रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
2. सीमा पत्नी बलवीर जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
3. कृष्णा पत्नी सहीराम जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील खुंईया तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायला**
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **गैरसायलान**

निर्णय दिनांकः 13/08/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 439/433 के ख0न0 808 की 7.3100 हैक्ट जिसमें सायला की माता खिवणी का 1/2 हिस्सा अर्थात 3.655 हैक्ट भूमि खिवणी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 114 के साबिका ख0न0 344 की 43 बीघा भूमि खाम थी जो वर्तमान में हाल ख0न0 808 में परिवर्तित व पैमुद हो चुकी है उक्त भूमि केशराराम वल्द जोतराम की अर्जित भूमि थी केशराराम के देहान्त के बाद कर्ता खानदान होने के कारण खिवणी के नाम बतौर खातेदार दर्ज हुई सायला की माता खिवणी का दिनांक 04.07.2007 को देहान्त हो चुका है उक्त भूमि के सायला व गैरसायलान संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है। गैरसायल स0 1 ता 3 ने सायला की माता के बीमार होने के समय कुछ कागजात पर अंगुठा निशानात लगवा लिये तथा गैरसायलान संख्या 1 ता 3 उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहते है गैरसायल इस भूमि को अपने नाम दर्ज करवा कर सायल को उसके खातेदारी हक हकूक से वंचित करने पर आमाद है इसलिए गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होगी एवं न पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए गैरसायल के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की उक्त भूमि को रहन, बैय न करे एवं अपने पक्ष में कोई दस्तावेज निष्पादित करने से निषिद्ध रहे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.19 17:54:02 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 439/433 के ख0न0 808 की 7.3100 हैक्ट भूमि में से 1/2 भूमि अर्थात 3.655 हैक्ट कृषि भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 के सायला के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाल़ पेश किया एवं अप्रार्थी स0 2 ता 3 की तरफ से अधिवक्ता श्री विजयसिंह कड़वासरा उपस्थित। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की गैरसायल स0 2 की माता खिवणी ने दिनांक 06.04.2005 को उक्त भूमि की वसीयत गैरसायल स0 2 के पक्ष मे करवाई थी गैरसायल स0 2 मुताबिक वसीयत इस भूमि की खातेदार काश्तकार है। गैरसायल स0 2 के पक्ष में दिनांक 06.06.2005 को करवाई गई वसीयत को माननीय अपर जिला न्यायाधीश के निर्णय दिनांक 07.03.2019 में विधि अनुसार माना है इसलिए सायला को कोई दावा व प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकारी नही है। सायला द्वारा तथ्य छुपाकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता वकील प्रार्थी सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त भूमि पूर्व में केसराराम के नाम दर्ज थी एवं उनकी फौतदगी के बाद खिवणी के नाम दर्ज हुई जो की सायला की माता है इसलिए भूमि पैतृक होने के कारण भूमि में सायल व गैरसायलान स0 1 ता 3 का बहिब हक हिस्सा है लेकिन गैरसायलान उक्त भूमि को अकेले अपने नाम दर्ज करवाकर रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायला को अपूर्णीय क्षति होगी अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की गैरसायल स0 2 की माता खिवणी ने दिनांक 06.04.2005 को उक्त भूमि की वसीयत गैरसायल स0 2 के पक्ष मे करवाई थी गैरसायल स0 2 मुताबिक वसीयत इस भूमि की खातेदार काश्तकार है। गैरसायल स0 2 के पक्ष में दिनांक 06.06.2005 को करवाई गई वसीयत को माननीय अपर जिला न्यायाधीश के निर्णय दिनांक 07.03.2019 में विधि अनुसार माना है इसलिए सायला को कोई दावा व प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकारी नही है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने पुनः बहस में निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक है जिसमें सायला का भी हक हिस्सा है कोई भी व्यक्ति अपने हिस्सा से अधिक भूमि का हस्तानान्तरण करता है तो ऐसा दस्तावेज शुन्य व अवैध है एवं बिना निरस्त करवाये राजस्व न्यायालय पैतृक भूमि में हिस्सा निर्धारित कर सकता है तथा अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपने तर्क की पुष्टि में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2023(1) पेज न0 372 ता 375 पेश किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया व अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन कर इन्हें मार्गदर्शी सिद्वान्त के रूप में उपयोग किया। गहन अध्ययन के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की [illegible] निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र व निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.19 17:54:02 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खिवणी के नाम दर्ज है एवं पूर्व में प्रार्थीया के नाना केसराराम के नाम दर्ज रही है एवं केसराराम के देहान्त के बाद प्रार्थीया की माता यानि की खिवणी के नाम भूमि दर्ज हुई अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत के अनुसार भी कोई भी व्यक्ति अपने हिस्सा से अधिक भूमि का हस्तानान्तरण करता है तो ऐसा दस्तावेज शुन्य व अवैध है एवं बिना निरस्त करवाये राजस्व न्यायालय पैतृक भूमि में हिस्सा निर्धारित कर सकता है जो की मूल वाद में तय होना है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में साबित हो गया है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीया को होगी न की अप्रार्थीगण को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थीया के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 439/433 के ख0न0 808 की 7.3100 हैक्ट भूमि में से 1/2 भूमि अर्थात 3.655 हैक्ट भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 13/08/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.19 17:54:02 IST
Reason: SelfAttested